स्वच्छ मुंगेर–स्वस्थ्य मुंगेर

ग्रामीण विकास विभाग

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
मुंगेर

प्रशांत कुमार सी0एच0, (भा0प्र0से0)
उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
संपर्क सं0 :–9431818368
ई0मेल :– ddc-munger-bih@nic.in

आदेश

विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 108459 दिनांक 04.06.2012 के आलोक में इंदिरा आवास के लाभार्थियों का आवास सॉफ्ट में Data Maintence करने हेतु कार्यपालक सहायक की सेवा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की व्यवस्था के अन्तर्गत जिले में कार्यपालक सहायक के उपलब्ध पैनल से FIXED मानदेय पर करने का निदेश प्राप्त है।

उक्त विभागीय निदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 1028 दिनांक 20.07.2019 द्वारा मुंगेर जिला के असरगंज प्रखण्ड हेतु एक सामान्य कोटि के कार्यपालक सहायक की मॉग जिला पदाधिकारी, मुंगेर से की गई। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 529स्था0 दिनांक 27.07.2019 से जिला स्तर पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के उपलब्ध कार्यपालक सहायक के पैनल से सामान्य कोटि के कार्यपालक सहायक की सेवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर को उपलब्ध करायी गई, जिन्हें संविदा के आधार पर निम्नांकित शर्तों के साथ प्रखण्ड असरगंज में पदस्थापित करते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर में प्रतिनियुक्त किया जाता है:–

क्र0	अभ्यर्थी का आई0डी0 नं0	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पिता / पति का नाम एवं पदनाम	चयनित कोटि	योग्यता	पदस्थापन का प्रखण्ड	प्रतिनियुक्ति कार्यालय	पदा0 जिनके समक्ष योगदान देना है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MGR001774	कुमार पीयूष रंजन	25.02.1980	श्री विष्णुदेव राय ग्राम–रतनपुर, थाना–बरियारपुर जिला–मुंगेर	अनारक्षित	B.A	असरगंज	डी0आर0डी0ए0	उप विकास आयुक्त, मुंगेर

शर्तें:–

1. उक्त पद पर नियोजन अस्थायी रूप से दिनांक 31.07.2019 को योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा तथा आवश्यकता के अनुरूप एवं कार्य संतुष्टि के आधार पर अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।
2. उक्त पद हेतु मानदेय के रूप में 11345/–(ग्यारह हजार तीन सौ पैंतालीस) रूपये प्रति माह भुगतान किया जायेगा एवं साथ ही इसके लिए अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं है।
3. उक्त पद पर नियोजन के समय कार्यालय में एक डेस्कटॉप, एक प्रिन्टर(ब्लैक एण्ड व्हाईट), एक यू0पी0एस0 एवं इन्टरनेट कलेक्शन लेकर आना अनिवार्य होगा।
4. उक्त पद पर नियुक्त कर्मी को सामान्य प्रशासन विभाग के 18 जुलाई 2007 को निर्गत परिपत्र के आलोक में अवकाश देय होगा।
5. संविदा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है इस संबंध में आपका आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. उक्त पद पर नियोजन के समय कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी इसमें लगने वाली पेपर, कार्टिज आदि की आपूर्ति नियोजन के कार्यालय द्वारा की जायेगी साथ ही नियोजित अभ्यर्थी के द्वारा ईन्टरनेट कनेक्शन का बिल देय होगा।
7. संविदा आधारित कर्मी द्वारा सरकारी कर्मी होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

उप विकास आयुक्त
मुंगेर।

ज्ञापांकः– 1132 दिनांकः– 02/08/2019

प्रतिलिपिः– संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी तारापुर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकरी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2/08/19

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

Anjani folder by aftab 31-07-2019